



राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक : प.13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट

जयपुर, दिनांक 13 MAR 2020

—: आदेश :—

विषय:—राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 में प्रीमियम दर के पुनरीक्षण के संबंध में।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 11 (1) (i) में संदेय प्रीमियम दर दिनांक 01.04.2020 से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

क्र.सं.	वेतन स्लेब	मासिक प्रीमियम दर
1	22000 तक	800 /—
2	22001 से 28500	1200 /—
3	28501 से 46500	2200 /—
4	46501 से 72000	3000 /—
5	72000 से अधिक	5000 /—
6	अधिकतम	7000 /—

- 1 उक्त दरें माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के वेतन से लागू होगी।
- 2 उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप नियम 11 के उप नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन खण्ड दर से आगामी दो खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रीमियम का ऐच्छिक तौर पर विकल्प लिये जाने की स्थिति में अधिकतम कटौती 7000 /— रुपये प्रतिमाह होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कमरा नम्बर 7307; खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302005, दूरभाष नम्बर 0141-2385649,

ई-मेल : jsfip@rajasthan.gov.in